

3तरा-राम

दिनांक - 30/09/2013



एलपीजी वितरकों की नियुक्ति हेतु सूचना

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) का उत्तराखण्ड राज्य में निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों से नीचे दिये स्थानों पर विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत एलपीजी वितरकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है:

Table with 8 columns: क्र. सं., ऑयल कम्पनी, स्थान, जिला, श्रेणी, बाजार का प्रकार, प्रतिभूति जमा राशि, विषयन योजना. Lists various locations and companies across different districts in Uttarakhand.

\*प्रयुक्त नामावली निम्नानुसार है:
ओ - खुली श्रेणी
एससी/एसटी - अनुसूचित जाति श्रेणी / अनुसूचित जनजाति श्रेणी
ओबीसी - अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी
ओ (जीपी) - रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।
ओ (सीसी) - शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो खुली श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (जीपी) - रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो एससी/एसटी श्रेणी में आते हैं।
एससी/एसटी (सीसी) - शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो एससी/एसटी श्रेणी में आते हैं।

ओबीसी (जीपी) - रक्षा कार्मिक, केन्द्रीय / राज्य सरकार के कर्मचारी एवं केन्द्रीय / राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के कर्मचारियों सहित सरकारी कार्मिक श्रेणी जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
ओबीसी (सीसी) - शारीरिक विकलांग (पीएच), उत्कृष्ट खिलाड़ी (ओएसपी) एवं स्वतंत्रता सेनानी (एफएफ) सहित संयुक्त श्रेणी जो ओबीसी श्रेणी में आते हैं।
1. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत आवेदन कर सकते हैं
व्यक्तिगत आवेदक के मामले में, नियुक्ति पर, एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप आवेदक और उसके पति/पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से होगी (अर्थात् पति/पत्नी सह स्वामी होंगे)। यदि आवेदक अविवाहित/तलाकशुदा/विधवा/विधुर है तो उसे एक वचनपत्र देना होगा कि वह विवाह/पुनर्विवाह के बाद अपने पति/पत्नी को सह-स्वामी बनायेगा। सह-स्वामी का अर्थ है आयु, योग्यता और रोजगार पर विचार किये बिना पति/पत्नी 50% - 50% हिस्सेदार होंगे। व्यक्तिगत उम्मीदवारों को अपने पति/पत्नी के अलावा किसी के साथ हिस्सेदारी की अनुमति नहीं है।
गैर-व्यक्तिगत आवेदक का अर्थ है सरकारी निकाय/एजेंसियां, संगठित निकाय, सांसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटीयां, संबंधित राज्य सरकार के चैरिटी कनिशनर के साथ पंजीकृत चैरिटेबल ट्रस्ट, कम्पनीज अधिनियम, 1956 के अंतर्गत गठित कम्पनियां।
2. एलपीजी वितरक का चयन सभी योग्य आवेदकों के बीच ड्रॉ के द्वारा किया जाएगा। योग्यता मापदंडों को पूरा करने वाले सभी आवेदक ड्रॉ के लिए पात्र होंगे।
3. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के प्रचालन के लिए आवश्यक मूलभूत सुविधाएं
क. एलपीजी सिलेंडर भंडारण के लिए गोदाम
एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर को 8000 किग्रा. एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण के लिए मुख्य पेट्रोलियम विस्फोटक नियंत्रक और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा विधिवत अनुमोदित एवं लाइसेंसप्राप्त भंडारण गोदाम की आवश्यकता होगी।
आवेदक के पास अपने स्वयं का:
8000 किग्रा. एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण के लिए एलपीजी गोदाम के निर्माण हेतु (राज्य में प्रस्तावित स्थान की नगरपालिका/टाउन/गांव सीमा से 15 किमी. के भीतर) 25 मीटर X 30 मीटर न्यूनतम आकार का भूखंड होना चाहिए। गोदाम के निर्माण के लिए भूखंड की न्यूनतम परिमाण 25मी X 30 मीटर से कम होने पर विचार नहीं किया जाएगा।
अथवा
8000 किग्रा. क्षमता के एलपीजी सिलेंडरों के भंडारण के लिए तैयार एलपीजी भंडारण गोदाम (राज्य में प्रस्तावित स्थान की नगरपालिका/टाउन/गांव सीमा से 15 किमी. के भीतर)।
ख. शोरूम
विज्ञापित स्थान अथवा विज्ञापन में निर्दिष्ट स्थान पर दुकान/भूमि पर मानक लेआउट के अनुसार न्यूनतम 3 मीटर x 4.5 मीटर परिमाण का शोरूम हो और यह आम जनता के आसानी से पहुंचने के लिए सड़क से जुड़ा होना चाहिए।
4. योग्यता मापदंड, एलपीजी गोदाम के लिए भूमि/एलपीजी गोदाम के लिए आवश्यक अयसरचना, शोरूम, सिलेंडरों की घर में सुपुर्दी की लिए अवसरचना आदि के विस्तृत दिशानिर्देशों के साथ ही चयन प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी विवरणिका में दी गई है जो कि नीचे पैरा 9 में दिए गए पते पर ₹ 50/- का भुगतान करके व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किये जा सकते हैं। यह नि:शुल्क आईओसीएल, बीपीसीएल तथा एचपीसीएल की वेबसाइटों www.iocl.com, www.ebharatgas.com, www.bharatpetroleum.in और www.hindustanpetroleum.com से भी डाउनलोड की जा सकती है।
5. आवेदन पत्र नीचे पैरा 9 में दिए गए पते से विवरणिका के साथ व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यह ऑयल कम्पनियों की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है और इसे नि:शुल्क डाउनलोड किया जा सकता है।
6. योग्यता मापदंडों को पूरा करने वाले सभी व्यक्ति निर्धारित प्रारूप में आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप के अनुसार आवेदन सादे कागज पर साफ-साफ टाइप अथवा हाथ से लिखकर जमा किया जाना चाहिए।
7. एक से अधिक स्थानों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवार प्रत्येक स्थान के लिए लागू आवेदन शुल्क के साथ अलग-अलग आवेदन जमा कर सकते हैं।
8. आवेदन पत्र ₹ 1000 (रुपए एक हजार मात्र) और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रत्याशियों के मामले में (अ.जा./अ.ज.जा. का प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए) ₹ 500 (रुपए पांच सौ मात्र) के अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ जमा किए जाने चाहिए।
9. एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदन पत्र सभी संलग्नकों सहित पूरी तरह से भरकर तथा किसी अनुसूचित बैंक में आहरित डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से अप्रतिदेय आवेदन शुल्क के साथ इस प्रकार से भेजे जाने चाहिए कि वह नीचे दिए गए कार्यालय पते पर 31.10.2013 तक कार्यालय-अवधि के दौरान अवश्य पहुंच जाए:

Table with 4 columns: विज्ञापित स्थान क्र.सं., अनुसूचित बैंक द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के पक्ष में, देय स्थान, सभी संलग्नकों और आवेदन शुल्क के साथ आवेदन जमा करने हेतु कार्यालय पता. Lists application details for various locations.

10. शिकायत/शिकायत निवारण प्रणाली:
किसी आवेदक के खिलाफ प्राप्त शिकायतों का निपटारा निम्नानुसार किया जाएगा:
क) शिकायतकर्ताओं को संबंधित तेल कम्पनी के पक्ष में ₹ 1000 का शिकायत शुल्क डिमांड ड्राफ्ट के रूप में शिकायत के साथ जमा करना होगा। जिन शिकायतों के साथ ₹ 1000 की राशि संलग्न नहीं होगी उनकी जांच नहीं की जाएगी।
ख) नामरहित शिकायतों की सामान्यतः जांच नहीं की जाएगी।
ग) आवेदकों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच केवल तभी की जाएगी यदि आवेदक को ड्रॉ में चुना जाता है।
घ) शिकायतों पर विचार केवल तभी किया जाएगा यदि वह ड्रॉ के परिणामों की घोषणा के 30 दिनों के अंदर संबंधित तेल कम्पनी के कार्यालय में प्राप्त होती है।
ङ) यदि चुने गए आवेदक के विरुद्ध ड्रॉ के परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के अंदर शिकायत प्राप्त होती है तो इसकी जांच की जाएगी तथा उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।
11. सामान्य:
(क) कम्पनी के पास कोई भी कारण बताए बिना अपने विवेकानुसार इस विज्ञापन को रद्द करने/वापस लेने/संशोधित करने अथवा निर्धारित तिथि को आगे बढ़ाने का अधिकार है।
(ख) आवेदक एक स्थान के लिए केवल एक ही आवेदन कर सकते हैं। यदि एक व्यक्ति से एक से अधिक आवेदन प्राप्त होते हैं तो उन्हें समाहित करके एक ही आवेदन माना जाएगा और अन्य सभी आवेदनों का शुल्क जब्त कर लिया जाएगा।
(ग) आवेदक आवेदन पत्र के सभी पृष्ठों में नम्बर डालें और शपथपत्र संलग्न करके प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर करें। आवेदन के साथ सभी शपथपत्र/वचनपत्र मूल रूप में जमा किये जाने चाहिए।
(घ) केवल वे दस्तावेज जो आवेदन पत्र में मांगे गए हैं, आवेदन के साथ जमा किए जाएं। आवेदन के साथ संलग्न अन्य किसी दस्तावेजों पर विचार नहीं किया जाएगा।
(ङ) आंके देरी सहित अतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संबंधित ऑयल कम्पनी द्वारा इस संबंध में कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
(च) 'खुली' श्रेणी के अंतर्गत विज्ञापित स्थानों को छोड़कर अन्य के लिए पात्रता प्रमाणपत्र आवेदन के साथ अवश्य जमा करना होगा। यद्यपि रक्षा कार्मिक श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले आवेदकों के पास ड्रॉ के दिन भी डीजीआर से मूल पात्रता प्रमाणपत्र जमा करने का विकल्प होगा।
(छ) यदि आवेदन पत्र में दी गई कोई जानकारी अथवा उसके साथ संलग्न किए गए दस्तावेज में या आवेदन पत्र के संदर्भ में बाद में किसी भी स्तर पर प्रत्यारी द्वारा दी गई कोई जानकारी छुपाई गई हो/गलत रूप से पेश की गई हो/गलत या झूठी पाई जाती है जो योग्यता पर प्रतिकूल असर डालती हो तो आवेदन पत्र को कोई कारण बताए बिना निरस्त कर दिया जाएगा और यदि आवेदक को वितरक के रूप में नियुक्त कर लिया जाता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे मामले में उम्मीदवार/वितरक का सम्बंधित ऑयल कम्पनी के विरुद्ध कोई दावा मान्य नहीं होगा।
(ज) चयनित उम्मीदवार को क्रिडेंशियल के फील्ड वैरिफिकेशन (एफवीसी) के सम्पादन से पूर्व संबंधित ऑयल कम्पनी में लागू ₹ 25000/- अथवा ₹ 50000/- की राशि जमा करनी होगी। यदि चयनित उम्मीदवार कथित राशि को जमा करने में असफल रहता है तो उसकी/उसका चयन रद्द कर दिया जाएगा। यदि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी झूठी/गलत/छुपाई गई पाई जाती है तो चयनित उम्मीदवार द्वारा एफवीसी से पूर्व जमा की गई राशि जब्त करने के साथ आवेदक का चयन रद्द कर दिया जायेगा।
(झ) आवेदक आवेदन पत्र में विभिन्न नदों के अधीन दर्शाई गई सारी जानकारियां अवश्य दें। यदि चयनित हो जाते हैं तो आवेदकों को सत्यापन के समय आवेदन में दी गई सारी जानकारियों की मूल प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी। सत्यापन के समय आवेदन में दी गई सारी जानकारियों की मूल प्रतियां प्रस्तुत न करने पर उनके द्वारा क्रिडेंशियल के फील्ड वैरिफिकेशन (एफवीसी) से पूर्व जमा की गई राशि को जब्त करने के साथ उनका चयन रद्द कर दिया जाएगा।
(ञ) विधिवत भरे हुए आवेदन पत्र को भेजे जाने वाले तिफाफे पर साफ-साफ अक्षरों में निम्न प्रकार से लिखा जाए:
यह आवेदन पत्र ..... (ऑयल कम्पनी का नाम) की ..... स्थान के लिए 'एलपीजी वितरक' हेतु है।
(ट) यह पूर्णतः एक व्यापारिक प्रस्ताव है और संबंधित ऑयल कम्पनी में किसी नौकरी के लिए आवेदन नहीं है और इसमें सामान्य व्यापार के जोखिम हैं और यह किसी प्रकार के निश्चित लाभ अथवा प्रतिलाभ की गारंटी नहीं देता।
(ठ) यह केवल आवेदन पत्र है और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए प्रस्ताव नहीं है।